प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में,

निदेशक,
लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

यादि कमांक वि0स0–I–2015/**729**
पंचकूला, दिनांक **03.06.2015**

विषयः– **विज्ञापन सामग्री ।**

....

मत्स्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से 31 अगस्त (1.7.2015 से 31.8.2015)तक राज्य के अधिसूचित पानियों में गैर कानूनी तरीके से मछली पकडने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है । इस सम्बन्ध में विज्ञापन सामग्री की दस प्रतियां संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे हरियाणा राज्य में प्रचलित हिन्दी भाषा के किन्ही दो अखबारों में दिनांक 5.6.2015 के पृ0 1,3 व अंतिम को छोडकर प्रकाशित करवाने की कृपा करें ।

संलग्नः–विज्ञापन सामग्री ।

हस्ता/–
(आर0के0 सागवान)
निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

मत्स्य पालन विभाग हरियाणा

अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब मत्स्य नियमावली 1914 तथा उसके अधीन बनाए गये हरियाणा मत्स्य नियम 1996 के अर्न्तगत राज्य के अधिसूचित पानियों में 1.7.2015 से 31.8.15 तक जालों द्वारा मछली पकडने पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। यदि इस दौरान कोई भी व्यक्ति जालों द्वारा अधिसूचित पानियों में मछली पकडता है तो उसके विरूद्ध मत्स्य नियमावली के अंतर्गत दर्शाई गई धारा के अनुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य के अधिसूचित पानियों में हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 की धारा–7 (5) के अर्न्तगत बिजली के करंट, डायनामाईटिक अथवा किसी हानिकारक विष्फोटक पदार्थ से मछली पकडना/मारना भी कानूनन जुर्म है ।

सर्व साधारण से अपील की जाती है कि हरियाणा राज्य के प्राकृतिक पानियों में मछली सम्पदा को बढाने के लिये मत्स्य विभाग को सहयोग दे तथा मछली प्रजनन के समय माह जुलाई व अगस्त में अधिसूचित पानियों में मछली का शिकार ना करें ।

हस्ता/–
(आर0के0 सागवान)
निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।